न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, मुख्यालय गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारी– सुदर्शन सिंह तोमर

क0सं0	अपील सं0	GCMS NO.	दर्ज दिनांक	उनवान	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	04/24	2024/2	13.02.2024	हरिमोहन बनाम तहसीलदार वजीरपुर	05.12..2025	1 लगायत 2

1 हरिमोहन पुत्र मूडया जाति मीना निवासी मैडी तहसील वजीरपुर।

––– अपीलार्थी

बनाम

1. तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) वजीरपुर।
2. गरीबा पुत्र रामफूल जाति मीना निवासी मैडी तहसील वजीरपुर।
3. गोपी सहाय पुत्र रामफूल जाति मीना निवासी मैडी तहसील वजीरपुर।
4. खमशू पुत्र रामफूल जाति मीना निवासी मैडी तहसील वजीरपुर।
5. सुरेश पुत्र रामफूल जाति मीना निवासी मैडी तहसील वजीरपुर।

– रेस्पोडेन्ट

उपस्थित–

अपीलान्ट की ओर से– विद्वान अभिभाषक श्री सतीश कुमार शर्मा

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम,1956

निर्णय

यह अपील तहसील वजीरपुर के नामान्तकरण सं0 1389 दिनांक 31.03.2022 वाके ग्राम मैडी से अप्रसन्न होकर अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू.राजस्व अधिनियम, 1956 इस न्यायालय में पेश की गयी। उक्त नामान्तकरण सं0 1389 दिनांक 31.03.2022 द्वारा ग्राम मैडी में राजों पत्नि स्व0 काडू की स्थित खातेदारी भूमि खं0नं0 1787/303 रकबा 0.09 है0, खं0नं0 299 रकबा 0.21है0, खं0नं0 304 रकबा 0.01है0, खं0नं0 305 रकबा 0.15 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.46 है0 का विरासत नामान्तकरण तस्दीक किया गया है। उक्त नामान्तकरण से अप्रसन्न होकर अपील प्रस्तुत की गई। अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी जरिये सम्मन की गई। रेस्पोडेन्ट सं0 1 की और से पेरोकार सरकार व रेस्पोडेन्ट सं0 2 लगायत 5 बाबजूद सूचना दौरान बहस उपस्थित नहीं होने पर अधिवक्ता अपीलार्थी की बहस सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने दौराने बहस अपील में वर्णित तथ्यों की और ध्यान आकर्षित कर कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्यायिक सिद्धान्तों के विपरित होने के कारण निरस्त योग्य है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त आदेश पारित करने से पूर्व यह गौर नहीं किया गया कि उक्त नामान्तकरण राजों पत्नि स्व0 रामफूल के वारिसान के नाम [illegible] हैं। जबकि इसी नामान्तकरण में गलत रूप से अपीलान्ट को बिना कोई नोटिस [illegible] की वादी राजों स्व0 पत्नि काडू के वारिसान का नामान्तकरण भी गलत रूप से राजों पत्नि स्व0 रामफूल के वारिसान रेस्पोडेन्ट सं0 2 लगायत 5 के नाम तस्दीक कर दिया है [illegible] साथ ही विद्वान अभिभाषक

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2025.12.10 19:48:41 IST
Reason: SelfAttested

अनिरिक्त जिला कलेक्टर एव अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट गंगापुर सिटी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर गंगापुर सिटी
मु0नं0 04/24 उनवान हरिमोहन बनाम तहसीलदार व अन्य

अपीलार्थी ने उक्त अपील स्वीकार कर नामान्तकरण सं0 1389 दिनांक 31.03.2002 तस्दीक दिनांक 18.05.2022 निरस्त करने हेतु निवेदन किया है।

उभय पक्षों की बहस सुनी गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। अदालत मातहत द्वारा प्राप्त विवादित नामान्तकरण के अनुसार तहसीलदार वजीरपुर द्वारा खाता सं0 69,70,72,736,74,321,322 में स्थित भूमि का विरासत नामान्तकरण रेस्पोडेन्ट सं0 2 लगायत 5 के नाम तस्दीक किया हैं। जबकि खाता सं0 69,70,72,73,74, 322 राजों पत्नि स्व0 रामफूल के नाम खातेदारी दर्ज है तथा खाता सं0 321 में अंकित भूमि खं0नं0 1787/303 रकबा 0.09 है0, खं0नं0 299 रकबा 0.21है0, खं0नं0 304 रकबा 0.01है0, खं0नं0 305 रकबा 0.15 है0 कुल किता 4 कुल रकबा 0.46 है0राजों पत्नि स्व0 काडू के नाम खातेदारी दर्ज है तथा तहसीलदार (भू0अ0) वजीरपुर द्वारा अपने पत्रांक भू0अ0/2024/369 दिनांक 12.04.2024 में अंकित किया कि उक्त नामान्तकरण सहवन से तस्दीक हो गया था तथा लिपिकीय गलती के कारण हुआ है, साथ ही रेस्पों स0 2 लगायत 5 द्वारा भी एक शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि ग्राम मैडी खाता सं0 321 रकबा 0.46 है0 जो हाल जमाबन्दी के अनुसार रेस्पोंडेन्ट सं0 2 लगायत 5 के नाम दर्ज है जिस पर रेस्पोडेन्ट सं0 2 लगायत 5 का कोई कब्जा नहीं है उक्त खाता पटवारी की भूल के कारण रेस्पोडेन्ट सं0 2 लगायत 5 के नाम राजो पत्नि रामफूल की जगह राजो पत्नि काडू का नामान्तकरण खुल गया हो गलत खुला है जबकि उक्त खाते से रेस्पोडेन्ट सं0 2 लगायत 5 का कोई वास्ता नहीं है। अतः रेस्पोडेन्ट सं0 1 लगायत 5 स्वयं द्वारा उक्त नामान्तकरण में त्रुटि होना स्वीकार किया गया है।

अतः परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार कर नामान्तकरण सं0 1389 दिनांक 31.03.2022 तस्दीक दिनांक 18.05.2022 वाके ग्राम मैडी के खाता सं0 321 राजों पत्नि स्व काडू की हद तक निरस्त कर इस आदेश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि अपीलार्थी स्वयं के खर्चे पर विधिक वारिसान का विवरण उल्लेख कर आपत्ति आमंत्रित करने हेतु स्थानीय दैनिक समाचार पत्र व एक राष्ट्रीय समाचार पत्र में प्रकाशित करेगा कि न्यायालय में उक्त विवादित आराजीयात के राजस्व रिकोर्ड में वारिसानों का नाम दर्ज होने है तथा प्रकाशीत समाचार पत्र की प्रति अदालत मातहत में प्रस्तुत करेगा। अदालत मातहत भू–राजस्व अभिधिनम 1956 की धारा 135 (2) के अर्न्तगत तीस दिवस में आपत्ति आंमत्रण करेगा। उक्त प्रकरण में यदि कोई आपत्ति प्राप्त होती है तो गुणावगुण पर सम्यक् रूप से सुनवाई कर अथवा आपत्ति प्राप्त नहीं होने की दशा में एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों की वैधता का विनिश्चय कर पूर्व तस्दीक नामान्तंकरण निरस्त कर नये सिरे से नामान्तकरण तस्दीक करने हेतु अदालत मातहत तहसीलदार स्वतंत्र है । यदि उक्त प्रकरण किसी अन्य न्यायालय में विचाराधीन हो या अन्य न्यायालय के स्थगन प्रतिकूल आदेश प्रचलित होने की दशा मे तहसीलदार पूर्व नामान्तकरण सं0 1389 दिनांक 31.03.2022 तस्दीक दिनांक 18.05.2022 को यथावत रखेगा

निर्णय आज दिनांक 05.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2025.12.10 19:48:41 IST
Reason: SelfAttested

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी